



KOTHARI INTERNATIONAL SCHOOL

B-279, Sector-50, Noida - 201301, (U.P.) India

Tel.: 0120-4082430, Mob.: 9818548495

E-mail : info@kotharischool.edu.in, Website : www.kotharischool.edu.in

CBSE Affiliation No - 2130842, School Number - 60379



KIS/APRIL /2022-23/022

28/04/2022

Revised Fee Structure For Session 2022-23

Dear Parent

The fee for the Session 2022-23 has been revised w.e.f April 1' 2022 as per the DIOS directive issued dt. April 8' 2022 attached herewith.

You are requested to kindly deposit the fee before or on 10.5.2022. The fee is payable on Annually/quarterly/monthly basis.

The school management is please to inform you that the late fee is exempted for making the fee till 31.5.2022. Revised fee structure for 2022-23 is attached herewith.

We appreciate the kind support and cooperation of our parents.

Regards

Sangeeta Arora

(Dr Sangeeta Arora)

Principal

Kothari International School

DR. SANGEETA ARORA
PRINCIPAL
KOTHARI INTERNATIONAL SCHOOL
B-279, SECTOR-50, NOIDA



KOTHARI INTERNATIONAL SCHOOL, NOIDA

ANNEXURE (A)

COMPARISON FEE STRUCTURE FROM 2019-20 TO 2022-23 (COMPOSITE ANNUAL FEE)

CLASSES	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
K1/ K2	148404 p.a.	148404 p.a.	148404 p.a. *	163092 p.a.
1 - 5	159204 p.a.	159204 p.a.	159204 p.a. *	174960 p.a.
6 - 8	173604 p.a.	173604 p.a.	173604 p.a. *	190788 p.a.
9-10	189204 p.a.	189204 p.a.	189204 p.a. *	207936 p.a.
11-12	202404 p.a.	202404 p.a.	202404 p.a. *	222444 p.a.
CIE (6-8)	216804 p.a.	216804 p.a.	216804 p.a. *	238392 p.a.
CIE (9-12)	231204 p.a.	231204 p.a.	231204 p.a. *	254088 p.a.

* Pandemic relief as per Govt Notification and Advise

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ONE TIME FEE AT ADMISSION				
Registration Fee (Non-refundable)	2000	2000	2000	2000
Admission fee (Non-refundable)	50000	50000	50000	50000
Security (Refundable)	40000	40000	40000	40000

Revised Fee Structure (In Rupees) 2022-23

CLASSES	COMPOSITE FEES ANNUALLY 2022-23	COMPOSITE FEES QUARTERLY 2022-23	COMPOSITE FEES MONTHLY 2022-23
K1/ K2	163092 p.a.	40773	13591
1 - 5	174960 p.a.	43740	14580
6 - 8	190788 p.a.	47697	15899
9-10	207936 p.a.	51984	17328
11-12	222444 p.a.	55611	18537
CIE (6-8)	238392 p.a.	59598	19866
CIE (9-12)	254088 p.a.	63522	21174

OPTIONAL FEE

AC TRANSPORT			
	AS PER ACTUALS		
	TRANSPORT FEES ANNUALLY 2022-23	TRANSPORT FEES QUARTERLY 2022-23	TRANSPORT FEES MONTHLY 2022-23
FIRST STAGE	36000 p.a.	9000	3000 *
SECOND STAGE	47520 p.a.	11880	3960 *
THIRD STAGE	53280 p.a.	13320	4440 *
FOURTH STAGE	57600 p.a.	14400	4800 *
FIFTH STAGE	60480 p.a.	15120	5040 *
MEALS			
	MEALS ANNUALLY 2022-23	MEALS QUARTERLY 2022-23	MEALS MONTHLY 2022-23
K1/ K2 (Brunch)	20400 p.a.	5100	1700 *
1 - 12 (Breakfast & Lunch)	38400 p.a.	9600	3200 *

Please note the following:

- > Session 2022-23 will be Commence from 01.04.2022. *28.04.2022*
- > Fee is payable into Kothari International School, Noida account on quarterly/monthly basis
On or before 10th Day of every quarter/month (10th April, 10th July, 10th October, 10th January)
- > Security money is refundable at the time of withdrawal of the student from school
(Parents are required to provide their bank account details for e-transfer of the amount payable to them)
- > One month notice is to be given or equivalent amount of fee will be charged towards notice period in case of withdrawal of student from school. Admission fee is not refundable and also not to be forwarded to the next year.
- > Sibling
25% Discount in Admission Fee for 1st Sibling & 30% Discount in 2nd Sibling, 10% Discount in Security fee for siblings & Consolidated Discount on Composite Annual Fee for siblings.
- > In Case of Withdrawl of Students Current Month Fee & One Month Notice Fee Will be Charged.
- > Late Fee Rs.100/- Per Day Will be Charged From the Due Date of Fee.
- > Transport & Meal fee charges are for 11 months but payable in equal quarterly installments.

Sangha Anu
28/04/2022

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(गैर आ.स. प्र.)

वि.स. कुमार
शिक्षा निदेशक
7/5/22

सेवा में,

1- शिक्षा निदेशक(मा0) एवं
सभापति, माध्यमिक शिक्षा
परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- समस्त मण्डलीय सयुक्त शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल, 2022

विषय- कोरोना वायरस(कोविड-19) की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत प्रदेश में
संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली शुल्क के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांक-32/15-7-2022-1(20)/2020, दिनांक 07.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा कोरोना वायरस(कोविड-19) के कारण उत्पन्न आसाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली शुल्क को नियमित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2- कोविड-19 के कारण उत्पन्न आसाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत घोषित लॉकडाउन के कारण कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार प्रतिकूलरूप से प्रभावित होने तथा ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किये जाने में कठिनाईयों का सामना करने के दृष्टिगत छात्रहित एवं जनहित में प्रथम बार शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये शुल्क वृद्धि न किये जाने एवं शैक्षणिक सत्र 2019 में नव प्रवेशित तथा प्रत्येक कक्षा के लिये लागू की गयी शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्र-छात्राओं से शुल्क लिये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-756/15-7-2020-1(20)/2020 दिनांक 27.04.2020 द्वारा निर्गत किये गये।

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत उपरोक्त परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 लागू होने तथा उपरोक्त परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण अग्रेत्तर छात्रहित एवं जनहित में शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शुल्क वृद्धि न किये जाने एवं 2019-20 की शुल्क संरचना के आधार पर ही शुल्क लिये जाने के आदेश शासनादेश संख्या-11/2021/1040/15-7-2020-1(20)/2020 दिनांक 20.05.2021 द्वारा निर्गत किये गये।

कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में वृद्धि तथा कोविड के नवीन प्रतिरूप ओमिक्रान के संक्रमण के केसेज में वृद्धि के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-32/15-7-2022-1(20)/2020 दिनांक 07.01.2022 द्वारा छात्रहित एवं जनहित में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शुल्क वृद्धि न किये जाने के आदेश निर्गत करते हुये शैक्षणिक सत्र 2019-20 की शुल्क संरचना के आधार पर शुल्क लिये जाने के आदेश निर्गत किये गये।

3- छात्रहित एवं जनहित में शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में शुल्क वृद्धि के शासनदेश जब निर्गत किये गये थे तत्समय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 लागू था एवं घोषित लॉकडाउन के कारण अनेक अभिभावकों के रोजगार प्रतिकूलरूप से प्रभावित हुये थे तथा वे शुल्क देने में सक्षम नहीं थे तथा इसी प्रकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शुल्क वृद्धि न किये जाने का शासनादेश दिनांक 07.01.2022 को जब निर्गत किया गया था, तत्समय कोविड-19 की तीसरी लहर प्रभावी थी, विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन बंद था तथा कोरोना के सेज की दर में वृद्धि हो रही थी। सम्प्रति कोविड-19 के संक्रमण की दर एवं एक्टिव की संख्या में कमी आने से परिस्थितियां सामान्य की ओर लौट रही है।

4- अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जनहित में तथा विद्यालयों का सुचारु/नियमित संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के वित्त विहीन विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये ली जाने वाली शुल्क के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

1. शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये शुल्क वृद्धि न किये जाने विषयक शासनदेश संख्या-32/15-7-2022-1(20)/2020, दिनांक 07.01.2022 को अवकमित किया जाता है।
2. विद्यमान छात्रों के लिये शुल्क वृद्धि वर्ष 2019-2020 की शुल्क संरचना को आधार वर्ष के रूप में मानते हुये उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय(शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 की धारा-4(1) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नियमानुसार शुल्क वृद्धि की जा सकती है। अधिनियम की धारा 4(1) में उल्लिखित "किन्तु शुल्क वृद्धि, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत बढ़े हुये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक + छात्रों से वसूल किये गये 5 प्रतिशत शुल्क से अधिक नहीं होगी" के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में वार्षिक वृद्धि की गणना हेतु नवीनतम उपभोगता मूल्य सूचकांक को आधार माना जाये तथा वर्ष 2019-20 की शुल्क संरचना को आधार मानते हुए वर्ष 2019-20 में छात्रों से वसूल किए गए शुल्क के 05 प्रतिशत से अधिक की शुल्क वृद्धि न की जाय। शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु शुल्क वृद्धि की गणना किए जाते समय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में शुल्क वृद्धि की काल्पनिक गणना कदापि न करके उक्त फार्मूले में जोड़ी न जाय।

उदाहरण स्वरूप: शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 में 'X' वार्षिक शुल्क होने की दशा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शुल्क वृद्धि नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वृद्धि की गणना की जाय + छात्रों से वर्ष 2019-2020 में लिये गये वार्षिक शुल्क 'X' के 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न की जाय)

3. वर्ष 2019-2020 की शुल्क संरचना को आधार वर्ष के रूप में मानते हुये शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नव प्रवेशित छात्रों से उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय(शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 की धारा-4(2) के अंतर्गत नियमानुसार शुल्क सुनिश्चित की जाय।

4. विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु ली जाने वाली शुल्क इत्यादि के सम्बन्ध में यदि कोई छात्र या संरक्षक अथवा अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन क्षुब्ध है तो उनके द्वारा अधिनियम 2018 की धारा-8 के अन्तर्गत जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।

5. मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति, जो जिला शुल्क नियामक समिति निर्णय के व्यथित/क्षुब्ध हो, वह अधिनियम की धारा-8(11) के अन्तर्गत मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जनपद में संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक तथा मण्डल में मण्डलीय संयुक्त निदेशक द्वारा सतत अनुश्रवण कर छात्रहित में यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालयों द्वारा उपरोक्त आदेशों का विचलन कर शुल्क वृद्धि न की जाय।

भवदीया,

(आराधना शुक्ला) 08-04-2022
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री (माध्यमिक शिक्षा विभाग), उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शम्भु कुमार)
विशेष सचिव।